

# JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

## Minutes of the 71<sup>th</sup> meeting of the Traffic Control Board held on 24.12.2012

The 71<sup>th</sup> Traffic Control Board meeting was held under the Chairmanship of Jaipur Development Commissioner on 24<sup>th</sup> Dec. 2012 at 5.00 PM in Manthan Conference Hall of JDA.

List of Officers attended the meeting is as per Annexure 'A'.

Item No.	Agenda Item	Decisions
(i)	Confirmation of minutes of the 70 <sup>th</sup> TCB Meeting held on 20.07.12	Proceeding of the 70 <sup>th</sup> TCB meeting held on 20.07.12 was confirmed.
(ii)	Compliance report on decisions taken in 70 <sup>th</sup> TCB meeting.	Compliance reported on decisions taken in last TCB meeting held on 20.07.12 were reviewed by the board.
	अपर परिवहन आयुक्त (सडक सुरक्षा) से प्राप्त एजेण्डे के क्रम मे।	गत ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड मे दिये गये निर्देशों की पालना मे कार्यो का वर्गीकरण कर समीक्षा की गई तथा बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये।
	जिन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड द्वारा विचार विमर्श के पश्चात निर्देश दिये गये कि पूर्व ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड की 58वी बैठक मे लिये गये निर्णयानुसार :- (1) 80 फुट एव उससे अधिक चौडी सडकों पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण नही कराया जाये। (2) जिन चौराहो/तिराहो पर ट्रैफिक लाईट लगी हुई है। उन स्थानो पर स्पीड ब्रेकर नही निर्मित किये जाये। विशेष परिस्थितियों मे यदि स्पीड ब्रेकर बनाये जानं के अतिरिक्त कोई और विकल्प न हो तो टीसीबी की 68वी बैठक के बिन्दु संख्या 5 मे निर्णयानुसार गठित स्टेयरिंग कमेटी के सुझाव के अनुसार स्पीड ब्रेकर का निर्माण करवाया जाये। प्रस्तुत की गई सूची के क्रम मे स्थल निरीक्षण कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित अधिकारी :- पुलिस उपायुक्त (यातायात),निदेशक अभियांत्रिकी -I/II, जयिप्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर , श्रेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं अध्यक्ष एन.जी.ओ मुस्कान।



	जिन स्थानों पर रोड कट बंद करवाये जाने हैं।	<p>बोर्ड को कट बन्द किये गये हंस मार्ग की प्रगति से अवगत कराया गया तथा मौके पर आ रही समस्याओं से भी अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि टीसीबी की 68वी बैठक के बिन्दु संख्या 5 में निर्णयानुसार गठित स्टेयरिंग कमेटी के द्वारा इस प्रकार के स्थल का मौका निरीक्षण, परीक्षण कर आवश्यक सुझाव/कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी ट्रैफिक जविप्रा (अधिसाषी अभियन्ता-1) को सूचित करे।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारी :- पुलिस उपायुक्त (यातायात),निदेशक अभियांत्रिकी -I/II, जविप्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर , श्रेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं अध्यक्ष एन.जी.ओ मुस्कान।</p>
	जिन स्थानों पर मीडियन बनाये जाने की आवश्यकता है।	<p>पुलिस उपायुक्त (यातायात) द्वारा प्रस्तुत सूची में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ मीडियन हेतु सड़क चौड़ाई अपर्याप्त है। भूमि उपलब्ध नहीं है। बोर्ड द्वारा बनाये जा रहे मीडियन की प्रगति का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये हैं कि टीसीबी की 68वी बैठक के बिन्दु संख्या 5 में निर्णयानुसार गठित स्टेयरिंग कमेटी मौका निरीक्षण कर जविप्रा एवं नगर निगम को अवगत करावे।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारी :- पुलिस उपायुक्त (यातायात),निदेशक अभियांत्रिकी -I/II, जविप्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर , श्रेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं अध्यक्ष एन.जी.ओ मुस्कान।</p>
	जिन स्थानों पर सर्किल/रोटेरी बनवाये जाने की आवश्यकता है : - हनुमान तिराहे पर जगतपुरा स्थित नंदपुरी तिराहे पर।	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि हनुमान तिराहे पर जंक्शन का सुधार का कार्य यातायात पुलिस के समन्वय से किया जा रहा है।</p>
	जिन चौराहों/तिराहों पर सर्किल हटाये एवं मूर्ति साईड में लगवाये जाने की आवश्यकता है।	<p>बोर्ड द्वारा सर्किलों की सूची का अवलोकन किया गया। इन पर काफी वर्षों से मूर्तियां लगी हुई हैं। अतः बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार स्तर पर निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जावे तब तक प्रकरण स्थगित किया जाता है।</p>
	जिन चौराहों/तिराहों पर सर्किल को छोटा करवाये जाने की	<p>बोर्ड द्वारा सर्किल की सूची का अवलोकन किया गया। चूंकि</p>



	<p>आवश्यकता है।</p>	<p>यह एक तकनीकी विषय है। अतः बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रथम चरण में कावटिया सर्किल एवं एपेक्स सर्किल के सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी परीक्षण जविप्रा/नगर निगम क्षेत्रानुसार कराकर प्रकरण टीसीबी की 68वीं बैठक के बिन्दु संख्या 5 में निर्णयानुसार गठित स्टेयरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक निर्णयार्थ हेतु आगामी टीसीबी में प्रस्तुत किया जाये।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारी :- पुलिस उपायुक्त (यातायात), निदेशक अभियांत्रिकी - I/II, जविप्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर, श्रेणीय परिवहन अधिकारी एवं अध्यक्ष एन.जी.ओ मुस्कान।</p>
	<p>जिन स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लाईट/L लाईट लगवाये जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि त्रिमूर्ति सर्किल, जीएसआई कॉलोनी मालवीय नगर, चौरडिया पेट्रोल पम्प तिराहा, दुर्गापुरा तिराहा, खण्डाका कट टॉक रोड, देव नगर तिराहा, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, यादगार एवं अजमेरी गेट, वनस्थली मार्ग चौराहा, राजपूताना कट, अजमेर रोड पर ट्रैफिक लाईट लगवायी जा चुकी है एवं सांगानेरी गेट, घाटगेट, झालाना बाईपास तिराहा, केन्द्रीय विधालय न0 3, मानबाग तिराहा, मीणा पेट्रोल पम्प, न्यू सांगानेर मोड तिराहा, विजय पथ चौराहा, गोपालपुरा बाईपास पर ट्रैफिक सिग्नल लाईट/L लाईट हेतु प्रस्ताव प्रकियाधीन है। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इसमें तेजी लाकर 30 दिवस के अन्दर कार्य शीघ्र पूर्ण किये जावे तथा आगामी बैठक में कार्य की प्रगति से अवगत करावे।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारी:-निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम जविप्रा।</p>
	<p>जिन स्थानों पर रैलिंग लगवायी जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि सर्वप्रथम टॉक रोड पर फेजवार रेलिंग लगाये जाने हेतु अजमेरी गेट (यादगार) से सांगानेर फ्लाईओवर तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।</p>

		<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि प्रस्तुत की गई सूची में सडक की पूरी लम्बाई में रैलिंग लगाया जाना चाहा गया बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है कि 100 फीट से कम चौड़ी सडकों पर सडक मीडियन में क्रेश बैरियर व 100 फीट से अधिक चौड़ी के मीडियन में लोहे की रैलिंग लगाये जाने की सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि टीसीबी की 68वीं बैठक के बिन्दु संख्या 5 में निर्णयानुसार गठित स्टेयरिंग कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से कराये जाने हेतु प्रकरण को आगामी टी.सी.बी में प्रस्तुत किया जावे।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारी :- पुलिस उपायुक्त (यातायात), निदेशक अभियांत्रिकी - I/II, जविप्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर, श्रेणीय परिवहन अधिकारी एवं अध्यक्ष एन.जी.ओ मुस्कान।</p>
	जिन स्थानों पर क्षतिग्रस्त सडक की मरम्मत की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि प्रस्तुत सूची के अनुसार समस्त सडकों पर मरम्मत की जा चुकी है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकतानुसार कार्य कराया जाता है।
	जिन स्थानों पर रोड कट खुलवाये जाने हैं या चौड़ा करवाये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को दोनों कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया तथा कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
	गोल्ड सुक के सामने रोड कट खुलवाया जावे।	
	टोंक रोड किसान मार्ग वाले कट को पेट्रोल पम्प की दीवार के बराबर तक चौड़ा किया जावे।	
	जिन स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगवाये जाने हैं।	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि इन कार्यों हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा माह जनवरी 2013 में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारी:-निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय जविप्रा।</p>
	स्पीड लिमिट बोर्ड।	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि इन कार्यों हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा माह जनवरी 2013 में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारी:-निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय जविप्रा।</p>



	मिनीबस/सिटीबस स्टेण्ड के बोर्ड ।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि जेसीटीएल द्वारा कार्यवाही की जानी है इस पर बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यवाही विवरण जेसीटीएल को भिजवाया जावे तथा आगामी टीसीबी में जेसीटीएल के प्रतिनिधि को भी बुलाया जावे। सम्बन्धित अधिकारी:- सचिव जविप्रा, प्रबन्ध निदेशक, जेसीटीएल
	नो पार्किंग के बोर्ड ।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि इन कार्यों हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा माह जनवरी 2013 में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। सम्बन्धित अधिकारी:-निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय जविप्रा।
	जिन स्थानों पर रिफ्लेक्टर लगवाये जाने हैं ।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि इन कार्यों हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा माह जनवरी 2013 में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। सम्बन्धित अधिकारी:-निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय जविप्रा।
	जिन स्थानों पर रोड लाईट लगवाये जाने की आवश्यकता है	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मुरानी मोटर्स से सांगानेर पुलिया तक ।</li> <li>• झालाना तिराहे से रॉयल्टी तिराहे तक ।</li> </ul>	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि प्रस्तुत सूची में सांगानेर ब्रिज के आसपास पर एयरपार्ट अथोरिटी की स्वीकृति के उपरान्त ही लगाया जाना संभव होगा तथा झालाना रोड पर अतिक्रमण हटने के उपरान्त रोड लाईट लगाने का कार्य किया जा सकेगा। सम्बन्धित अधिकारी:-निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम जविप्रा।
	जिन स्थानों पर सामानान्तर एव लिंक रोडों के विकास की आवश्यकता है	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• किसान कॉलोनी से टॉक रोड स्थित किसान मार्ग कट तक ।</li> </ul>	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि यातायात पुलिस के साथ समन्वय कर कार्य करवाया जा चुका है।



	<ul style="list-style-type: none"> <li>गोपालपुरा बाईपास स्थित भण्डारी हॉस्पिटल से गोपालपुरा पुलिस चौकी तक।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि वर्तमान के कार्य की आवश्यकता नहीं है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>जवाहर लाल नेहरू मार्ग से मोतीडूंगरी रोड पर जाने के लिए मेडीकल कॉलेज के अन्दर खाली स्थान से लिंक रोड विकसित की जावे।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य करवाया जा सकता है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>टॉक रोड पर खण्डाका हॉस्पिटल कट से जयपुरिया अस्पताल के सामने से मालवीय नगर पुलिया की तरफ जाने वाले मार्ग।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य करवाया जा सकता है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>रामगढ मोड चौराहा से संजय सर्किल।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य करवाया जा सकता है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>शास्त्री नगर क्षेत्र में जाने वाली माउण्ड रोड को।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य करवाया जा सकता है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>जेरावर सिंह गेट से ब्रह्मपुरी होते हुये गणगौरी बाजार से छोटी चौपड की तरफ जाने वाले मार्ग।</li> </ul>	<p>बोर्ड द्वारा नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक कार्यवाही कर आगामी टीसीबी में कार्य प्रगति से अवगत करावे। सम्बन्धित अधिकारी:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>पारीक कॉलेज मोड से पुलिस लाईन के पीछे होते हुए स्टेडियम के सामने स्टेशन रोड तक पुलिस लाईन की जमीन लेकर रोड चौड़ी की जावे।</li> </ul>	<p>बोर्ड द्वारा नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक कार्यवाही कर आगामी टीसीबी में कार्य प्रगति से अवगत करावे। सम्बन्धित अधिकारी:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>झोटवाडा रोड पारीक कॉलेज से जंगलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ आने वाली कान्तीचन्द्र रोड का विकास किया जावे।</li> </ul>	<p>बोर्ड द्वारा नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक कार्यवाही कर आगामी टीसीबी में कार्य प्रगति से अवगत करावे। सम्बन्धित अधिकारी:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सिविल लाईन फाटक से आने वाले यातायात को हसनपुरा पुलिया के नीचे सीधा रेल्वे स्टेशन निकालने के लिए।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र रेल्वे से सम्बन्धित होने के कारण वर्तमान में कार्य करवाया जाना संभव नहीं है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेल्वे स्टेशन सर्किल से राम मंदिर व चिन्कारा की तरफ आने वाली सड़क को रेल्वे की जमीन लेकर चौड़ा किया जावे।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि रेल्वे द्वारा जयपुर स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने हेतु कार्यवाही शुरू की गई है। अन्तिम रूप से मानचित्र अनुमोदन के पश्चात कार्यवाही की जावेगी।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एम.आई.रोड से एम.ई.एस होते हुये सरदार पटेल मार्ग व अजमेर रोड पर जाने के लिए मार्ग को चौड़ा किया जावे।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि मौके के अनुसार उपलब्ध भाग में सड़क चौड़ी की जा चुकी है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हवा सड़क पर नन्दपुरी मोड से न्यू सांगानेर रोड पर जाने वाली सड़क।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि कार्य करवाया जा चुका है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हवा सड़क पर चम्बल पावर हाउस के अन्दर से खाली जमीन से होकर न्यू सांगानेर रोड पर जाने वाली रोड।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि सड़क का कार्य प्रगति पर है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• हवा सड़क पर रामनगर मोड से न्यू सांगानेर जाने वाली रोड।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि कार्य करवाया जा चुका है।</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चिन्कारा केन्टीन से झोटवाडा की तरफ वाया मिल्ट्री एरिया।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र मिल्ट्री के क्षेत्राधिकार में है। अतः वर्तमान में कार्य किया जाना संभव नहीं है।</p>
	ओवर ब्रिज निर्माण की आवश्यकता है।	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• खिरणी फाटक, दादी का फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जावे।</li> </ul>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि खिरणी फाटक, दादी का फाटक पर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।</p>
	जिन स्थानों पर पेड बिजली पोल व अन्य अवरोधक को हटवाये जाने की आवश्यकता है जिन स्थानों पर ट्रांसफार्मर हटवाये जाने है।	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि उपरोक्त कार्य जेवीवीएनएल द्वारा करवाये जाने है। इस कार्य हेतु उच्च स्तर पर निर्णय कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।</p>
	जिन स्थानों पर बिजली के पोल हटवाये जाने है।	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि उपरोक्त कार्य जेवीवीएनएल के माध्यम से करवाये जाने है। सम्बन्धित अधिकारी:- मुख्य अभियन्ता, जेवीवीएनएल, निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम</p>
	जिन स्थानों पर पेड हटवाये जाने है।	<p>बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये है कि नियमानुसार सम्बन्धित</p>



		<p>विभाग सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही करे। इस मार्ग हेतु उच्च स्तर पर निर्णय कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।</p> <p>सम्बन्धित अधिकारी:-पुलिस उपायुक्त (यातायात), निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम जविप्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर।</p>
	<b>अन्य कार्य:-</b>	
	एम.एन.आई.टी की दीवार की ऊंचाई को कम करवाया जावे।	एम.एन.आई.टी की दीवार संस्था द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ऊची बनी हुई है अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
	एक्सप्रेस हाईवे के दोनो आरे स्थित सर्विस रोड की चौड़ाई बढ़ाई जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि उक्त एन.एच.ए.आई से सम्बन्धित है।
	हसनपुरा पुलिया से राजपूताना शैरेटन होटल के सामने से खासाकोठी फलाई ओवर की तरफ जाने वाले वाहनों को होटल की दीवार के पास घुमाव पर वाहन दिखाई नहीं देते हैं यहा पर होटल की जमीन अवाप्त कर घुमाव नुमा रोड बनावाये जाने की व वर्तमान मे 25 फीट रोड पर ही डामरीकरण है 15 फिट कच्चा मार्ग है जिसे भी डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यक है।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि डामर का कार्य करवाया जा चुका है।
	जयपुर शहर मे बनने वाली नयी बहुमंजिला ईमारतो की स्वीकृति से पूर्व यातायात पुलिस जयपुर से अनापति प्रमाण लिये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड द्वारा इस बिन्दु पर लिया गया निर्णय टीसीबी के समक्ष एजेण्डा संख्या 71.2 के अनुसार है।
	व्यवसायिक भवन, मॉल्स, शोरूम, शिक्षण संस्थाओ एवं विवाह स्थल जिसमे पार्किंग स्थान नहीं है उनके लाईसेन्स निरस्त किये जाने की आवश्यकता है। अतःजयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने के लिए जनहित को ध्यान मे रखते हुए उक्त कार्य अतिशीघ्र करवाये जाने का श्रम करे।	बोर्ड द्वारा इस बिन्दु पर लिया गया निर्णय टीसीबी के समक्ष एजेण्डा संख्या 71.2 के अनुसार है।

	<b>बीआरटीएस :-</b>	
	<p>सीकर रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर में बसों का संचालन शुरू किया गया था। उस समय कॉरिडोर में पड़ने वाले सभी क्रांसिग पर गार्ड लगाये गये थे तथा केवल बीआरटीएस की बसों को ही इस कॉरिडोर में संचालित किया जा रहा था तब अन्य किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश नहीं था। परन्तु अब बीआरटीएस कॉरिडोर से गार्ड हटा लिये गये हैं। जिससे अन्य प्रकार के वाहन भी बीआरटीएस कॉरिडोर में चलने लग गये हैं। परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटना में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। यातायात पुलिस के पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है कि बीआरटीएस कॉरिडोर की समतस्त क्रांसिग पर जवान तैनात किये जा सकें। अतः बीआरटीएस कॉरिडोर की समस्त क्रांसिग पर तुरन्त बीआरटीएस के गार्ड लगाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शहर में विभिन्न स्थानों पर बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। यातायात को सुगम एवं सुरक्षित संचालन के लिए निर्माणाधीन कॉरिडोर के दोनों तरफ उपयुक्त सर्विस लेन का निर्माण अति आवश्यक है तथा निर्माणाधीन कॉरिडोर पर उचित संकेतक, रात्रि में चमकने वाले रिफ्लेक्टर, रोड लाईट, रोड साईन तथा मुख्य सड़क में मिलने वाली छोटी सड़कों पर स्पीड ब्रेकर सावधानी के संकेत, चमकने वाले डिवाइडर कोण लगाये जावे।</p>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि कार्यादेश जारी किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि मार्च 2013 तक कार्य पूर्ण करवाया जाये। सम्बन्धित अधिकारी:- निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम जविप्रा</p>
	<p>व्यवसायिक भवनों व बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भवन निर्माण से पूर्व यातायात पुलिस द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक है जो पूर्व में भी यातायात पुलिस द्वारा जारी किया जाता था। वर्तमान में यातायात पुलिस द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा है।</p>	<p>बोर्ड द्वारा इस बिन्दु पर लिया गया निर्णय टीसीबी के समक्ष एजेण्डा संख्या 71.2 के अनुसार है।</p>
	<p>जयपुर में यातायात पुलिस द्वारा जप्त वाहनों को रखने हेतु चारों क्षेत्रों में सुरक्षार्थ पार्किंग स्थल स्थापित किये जावे, जो वर्तमान में नहीं हैं।</p>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया कि कार्य करवाया जा चुका है।</p>



	<p>सड़क पर यातायात को समुचित स्थान उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर सड़कों पर अतिक्रमण कर बनाये गये नये पुराने भवनों, धार्मिक स्थलों, ट्रान्सफार्मरों, टेलिफोन की डीबी, पोल जगह जगह लगने वाले हटवाडे को हटाने के लिए कठोरता से निर्णय लिए जावें।</p>	<p>बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये है कि जविप्रा/ नगर निगम/ ट्रैफिक पुलिस उपलब्ध नियमों के अनुसार कार्यवाही करे। सम्बन्धित अधिकारी:- डीआईजी जविप्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, पुलिस उपायुक्त (यातायात)</p>
	<p>यातायात के निरन्तर प्रवाह के लिए आये दिन लगने वाले मेला, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शनों को नियन्त्रित व प्रतिबन्धित करने के बारे में स्पष्ट नीति निर्धारित की जावे।</p>	<p>बोर्ड द्वारा पुलिस उपायुक्त यातायात को निर्देश दिये गये है कि अलग से इसका एजेण्डा प्रस्तुत करे। सम्बन्धित अधिकारी:- पुलिस उपायुक्त यातायात</p>
	<p>सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन हेतु यातायात पुलिस जयपुर शहर द्वारा यातायात के सुचारु संचालन हेतु की गई अनुशंषाओं पर जे.डी.ए./नगर निगम, पी.डब्ल्यू.डी., परिवहन विभाग, एन.एच.आई द्वारा प्राथमिकता से त्वरित गति से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित हो यथा जयपुर शहर में मुख्य-मुख्य सड़कों पर लगाये जा रहे होडिंग्स, यूनिपोल तथा फ्लेक्सस जयपुर नगर निगम द्वारा यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना लगवाये जा रहे है। उपरोक्त की अनुमति देने से पूर्व यातायात पुलिस से इस बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे कि यह यातायात के सुगम व सुरक्षित संचालन के लिए उपयुक्त है या नहीं।</p>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि नियमों में कार्यवाही के लिये प्रावधान है ऐसी स्थिति में यातायात पुलिस सम्बन्धित विभाग को सूचित कर कार्यवाही करवाये। सम्बन्धित अधिकारी:- पुलिस उपायुक्त यातायात</p>
	<p>विज्ञापन की एवज में नगर निगम द्वारा यातायात पुलिस को गुमटी, रोड़ डिवाइडर, रोड़ फर्निचर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाया जावे। वर्तमान में नगर निगम इन पर लगे विज्ञापनों का शुल्क लेता है। जबकि यातायात पुलिस द्वारा प्राइवेट संस्थाओं द्वारा इनकी व्यवस्था की जाती है।</p>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि नियमों में कार्यवाही के लिये प्रावधान है ऐसी स्थिति में यातायात पुलिस सम्बन्धित विभाग को सूचित कर कार्यवाही करवाये। सम्बन्धित अधिकारी:- पुलिस उपायुक्त यातायात</p>
	<p>जे.डी.ए. यातायात संचालन हेतु यातायात पुलिस को इन्टरसेप्टर, ब्रेथ ऐनेलाईजर, बेरिकेटिंग, साईन बोर्ड, बैटन टार्च आदि संसाधन उपलब्ध कराता है। किन्तु जे.डी.ए. में यातायात पुलिस के लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान नहीं है। अतः जे.डी.ए. द्वारा अपने सालाना वार्षिक बजट में यातायात पुलिस के लिए अलग से रोड़ सेफ्टी बजट का प्रावधान किया जावे ताकि</p>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि जविप्रा द्वारा संसाधन व बजट की उपलब्धता व प्राथमिकता के अनुसार पूर्व में भी बजट उपलब्ध कराया गया है एवं वर्तमान में भी कराया जा रहा है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।</p>



	रोड़ सेफटी के लिए यातायात पुलिस वर्ष भर त्वरित गति से कार्य कर सके।	
	जे.डी.ए. द्वारा ए.टी.सी.एस. का विस्तार जे.एल.एन. मार्ग, टोक रोड़, व परकोटे तक किये की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाने की आवश्यकता है ताकि यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि कार्य प्रगति पर है।
<b>जयपुर शहर मे दुर्घटना संभावित क्षेत्र पूर्व क्षेत्र</b>		
	सुझाव	
मीणा का ढाबा चौराहा	मीणा का ढाबा चौराहे को नन्दपुरी अण्डर ब्रीज की तरफ खिसकाया जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि मौके पर इस कार्य हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तथा भूमि उपलब्ध होते ही कार्य करवा दिया जायेगा।
सांगानेर पुलिया के पास चाकसू बस स्टेण्ड की ओर	सांगानेर पुलिया के पास चाकसू बस स्टेण्ड की ओर पुलिया की साईड रेलिंग को करीब 50 मीटर तक चौधरी पैट्रोल पम्प की ओर बढ़ाई जावे क्योकि पुलिया से उतरने वाले वाहन ढलान में तेजगती में होते है जिससे दुर्घटनाएँ होने की संभावना रहती है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि पुलिया के साईड की रेलिंग नियमानुसार बनी हुई है।
टी0पी0 नगर चौराहे से चूलगीरी तक	टी0पी0 नगर चौराहे से चूलगीरी तक रिफलेक्टर व स्पीड ब्रेकर बनवाये जावें	बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान मे अण्डरपास का कार्य प्रगति पर है।
खोनागोरियान रोड गोनेर तिराहा से जगतपुरा चौकी तक	खोनागोरियान रोड पर मीडियन बनाया जावे	बोर्ड को अवगत कराया गया कि पर्याप्त उपलब्ध चौडाई मे आवश्यकतानुसार मीडियन का निर्माण कार्य किया जा चुका है।
जवाहर नगर बाईपास रोयल्टी तिराहा तक	जवाहर नगर बाईपास रोयल्टी तिराहा तक रोड पर मीडियन बनाया जावे व झालाना की ओर रोड लाईटें लगवाई जावे	बोर्ड को अवगत कराया गया कि जवाहर नगर बाईपास पर डिवाईडर हेतु पर्याप्त चौडाई उपलब्ध नहीं है। झालाना की ओर रोड लाईट हेतु कार्यादेश दिया जा चुका है।
किसान मार्ग के आगे जैन प्लाई वुड के पास वाला कट	किसान मार्ग के आगे जैन प्लाई वुड के पास वाला कट को बन्द करवाया जावे। किसान मार्ग से निकलने वाला ट्रैफिक रॉंग साइड से जाकर कट से निकलता है	बोर्ड को अवगत कराया गया कि यातायात पुलिस के साथ समन्वय कर कार्य करवाया जा चुका है।
तारों की कूट के	पैट्रोल पम्प के सामने मध्य डिवाईडर की उँचाई बढ़ाई जावे	बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवश्यकतानुसार डिवाईडर

पास पेट्रोल पम्प के सामने	क्योंकि दुपहिया वाहन व साईकिल चालक मध्य डिवाइडर के उपर से सडक पार करते है जिससे दुर्घटनाए होती है।	की ऊचाई बढाई जा चुकी है तथा डिवाइडर के बीच लोहे की रैलिंग लगाये जाने का कार्य प्रकियाधीन है।
रामबाग चौराहा,जे0डी0ए0 चौराहा,ओ0टी0एस0 चौराहा,गांधी नगर मोड,व बजाज नगर मोड	इन सभी चौराहों व तिराहों पर स्पीड ब्रेकर बनवाए जावे ताकि रात्रि के समय सडक पर ट्रैफिक कम रहता है तथा खुली सडक मिलने के कारण वाहन चालक तेजी से वाहनों को चलाते हुए चौराहा व तिराहा पार करते है जिससे दुर्घनाएँ अधिक होती है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि टीसीबी के निर्णयानुसार 80 फीट व अधिक की चौडाई वाली सडकों पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना वांछनीय नही है एवं सभी चौराहे/तिराहे सिग्नेलाईजड है।
झालाना कच्ची बस्ती से अपेक्स सर्किल तक	झालाना कच्ची बस्ती से सडक पर प्रायः बच्चे खेलते हुए सडक पर आ जाते है जिससे दुघटनाएँ होती है अतः झालाना कच्ची बस्ती से अपेक्स सर्किल तक कच्ची बस्ती की ओर रेलिंग लगवाई जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि झालाना कच्ची बस्ती मे रायल्टी तिराहे से अपेक्स सर्किल तक मे कच्ची बस्ती की तरफ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु प्रयास किये जा रहे है। जिसमे कुछ क्षेत्र मे सडक चौडी भी की गई है। पूरी 100 फीट सडक उपलब्ध होने के बाद रेलिंग लगाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
गुरुद्वारा मोड	यहां पर तिराहे से बर्फखाना मोड की ओर जाने वाले मार्ग पर मीडियन को ऊँचा किया जावे व ढलान में ब्रेकर बनाये जावें।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि मीडियन को ऊचा किया जा चुका है तथा टीसीबी के निर्णयानुसार 80 फीट व अधिक की चौडाई वाली सडकों पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना वांछनीय नही है एवं सभी चौराहे/तिराहे सिग्नेलाईजड है।
टी0पी0 नगर से गोलछा गार्डन की ओर	टी0पी0 नगर से गोलछा गार्डन की ओर लगे थडी ठेलों को हटवाया जावे	बोर्ड को अवगत कराया गया कि समय-समय पर कार्यवाही की जाती रही है फिर भी थडी ठेले वापिस लग जाते है। यह सतत प्रकिया है।
राजापार्क चौराहा	चौराहे पर रोड की चौडाई कम है जिसे बढाई जावे व यहां फुल माला के फुटकर दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को हटवाया जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि अतिक्रमण हटवा दिया गया।
झालाना महल से पुराना बाईपास	यहा डबल रोड बनी हुई है। परन्तु एक रोड बन्द की हुई है। रोड लाईट नही है। एक ही रोड पर ट्रैफिक चलता है। यहा पर रोड लाईट लगाकर दोनो रोड चालू की जाने की आवययकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि यहा झालाना महल भवन के पास सडक सीमा मे दुकाने बनी हुई है। जिसमे जेडीए बनाम गोपाल शर्मा का भूमि विवाद चलने के कारण एक तरफ (पूर्व की ) सडक को आगे नही जोडा जा सका है एवं दुर्घटना होने के कारण बनी सडक भी बन्द है। विवाद मे स्टे की स्थिति के कारण कार्य नही हो पाया है।

	पश्चिम क्षेत्र	
खातीपुरा चौकी	खातीपुरा तिराहे के चारों और स्पीड ब्रेकर ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि टीसीबी के निर्णयानुसार 80 फीट व अधिक की चौड़ाई वाली सडकों पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना वांछनीय नहीं है।
मिलन सिनेमा एक्सप्रेस हाईवे	रोड न0 14 पुलिया से एक्सप्रेस हाईवे पर जाने वाली रोड पर स्पीड ब्रेकर ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि टीसीबी के निर्णयानुसार 80 फीट व अधिक की चौड़ाई वाली सडकों पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना वांछनीय नहीं है।
खातीपुरा चौकी से खातीपुरा पुलिया के मध्य	पूरे रोड पर चौकी व पुलिया के मध्य डिवाइडर होना चाहिये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि डिवाइडर हेतु आवश्यक सडक की चौड़ाई उपलब्ध नहीं है एवं सघन व पुराने पेड लगे हुये हैं।
एक्सप्रेस हाईवे	एक्सप्रेस हाईवे पर भारी वाहनो की पार्किंग नहीं होनी चाहिये। एक्सप्रेस हाईवे की समानान्तर डामर रोडें चौड़ी होनी चाहिये तथा रोड लाइट लगाई जानी चाहिये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त एन.एच.ए.आई से सम्बन्धित है।
सीकर रोड	चौमू पुलिया से रोड न0 14 तक मुख्य रोड से मिलने वाली कॉलोनी रोडों पर स्पीड ब्रेकर हाने चाहिये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि स्पीड ब्रेकर बना दिये गये हैं।
कालवाड रोड	कालवाड रोड पर कालवाड एड पोस्ट से गोविन्दपुरा गांव तक रोड के मध्य डिवाइडर होना चाहिये व रोड पर मिलने वाली सडकों पर स्पीड ब्रेकर होने चाहिये।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि रोड की चौड़ाई कम होने के कारण रोड के मध्य डिवाइडर बनाया जाना संभव नहीं है।
निवारू रोड	निवारू रोड पर आबादी क्षेत्र में रोड के मध्य डिवाइडर होना चाहिये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि शालीमार से 200 फीट बाई पास तक एच.टी लाईन डालने का कार्य जनता के विरोध के कारण बन्द है। अतः डिवाइडर बनाया जाना संभव नहीं है।
कांवटिया सर्किल से अमानीशाह नाला	कांवटिया सर्किल से अमानीशाह नाला तक रोड के मध्य डिवाइडर होना चाहिये।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि नगर निगम द्वारा कार्यवाही कर आगामी टीसीबी मे कार्य से प्रगति से अवगत करावे। सम्बन्धित अधिकारी:-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।
सिरसी रोड	सिरसी रोड पर पण्डित जी का चौराहा से खातीपुरा तिराहा तक रोड के मध्य डिवाइडर होना चाहिये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान मे मौके के अनुसार रोड के मध्य डिवाइडर की आवश्यकता नहीं है।
दादी का फाटक	फलाई ओवर का निर्माण करवाया जाये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि फलाईओवर का कार्य प्रगति पर है।

नाडी का फाटक	फलाई ओवर का निर्माण करवाया जाये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान में फलाईओवर की कोई आवश्यकता नहीं है।
झारखण्ड मोड़ से खातीपुरा	डिवाइडर का निर्माण करवाया जाये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि मौका अनुसार डिवाइडर की कोई आवश्यकता नहीं है।
खिरणी फाटक	फलाई ओवर का निर्माण करवाया जाये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि फलाईओवर का कार्य प्रगति पर है।
चिन्कारा कैन्टीन से पानीपेच	रोड़ के मध्य मीडियन का निर्माण करवाया जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि मौके के अनुसार डिवाइडर हेतु पर्याप्त चौड़ाई उपलब्ध नहीं है।
झोटवाडा पुलिया	पुलिया को चौड़ा करवाये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में भूमि उपलब्ध न होने के कारण पुलिया को चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है।
	<b>उत्तर क्षेत्र</b>	
ट्रांसपोर्ट नगर से सड़वा मोड़ दिल्ली बाईपास रोड़ तक, जयगढ नाहरगढ	रोड़ पर विद्युत पोल लगे हैं लेकिन लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं रहती है	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम जयपुर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। सम्बन्धित अधिकारी:-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।
सड़वा मोड़, मानबाग, खोले के हनुमान जी तिराहा, सूरजपोल अनाज मण्डी गेट के सामने दिल्ली रोड़, घोबीघाट तिराहा	स्लिप लाइनों का निर्माण करवाया जाना उचित है।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि सड़वा मोड़, मानबाग, खोले के हनुमान जी तिराहा, सूरजपोल अनाज मण्डी गेट के सामने दिल्ली रोड़, घोबीघाट तिराहा तक आवश्यक कार्यवाही की कार्य किये जाये। सम्बन्धित अधिकारी :- निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम जविप्रा।
मीणा पेट्रोल पम्प के पास गैस गोदाम के पास, आर.ए.सी. कट के पास दिल्ली रोड़, थाना ब्रह्मपुरी के	अनावश्यक रोड़ कटों को बन्द करवाया जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि उक्त स्थानों पर अनावश्यक रोड़ कटों को बन्द करने का प्रयास किया गया परन्तु स्थानीय नागरिकों द्वारा कटों को बन्द नहीं करने दिया गया। बोर्ड द्वारा इन कटों को बन्द कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। सम्बन्धित अधिकारी- निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय

पास चांदपोल बाजार		जविप्रा, पुलिस उपायुक्त (यातायात) जयपुर।
जयगढ तिराहे से नाहरगढ तक	रोड काफी टूटी फूटी है निर्माण कार्य आवश्यक है जो पर्यटनस्थल भी है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि सडक मरम्मत का कार्य करवाया जा चुका है
	दक्षिण क्षेत्र	
विश्वेश्रैया नगर मोड	यहां तीन तरफ का ट्रैफिक मर्ज होता है अतः रोड चौडी कर उँचे डिवायडर की आवयकता है ।पुलिया के दोनों तरफ घुमाव की चौडाई बढाई जावे ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों का आवागमन बी-2 बाईपास पर शिफ्ट किये जाने के कारण दुर्घटनाओं मे कमी आई है, साथ ही गोपालपुरा बाईपास पर विभिन्न चौराहों व सडक सुधार हेतु कन्सलटैन्सी प्रस्तावित है।
त्रिवेणी नगर चौराहा	लिंक रोड पर अतिकमण होने के कारण ट्रैफिक मैन रोड पर रोंग साईड में आता है । अतः चौराहा पर से अतिकमण हटया जाकर रोड की मरम्मत कराई जाकर लिंक रोड को क्लीयर कराया जावे	बोर्ड को अवगत कराया गया कि गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों का आवागमन बी-2 बाईपास पर शिफ्ट किये जाने के कारण दुर्घटनाओं मे कमी आई है, साथ ही गोपालपुरा बाईपास पर विभिन्न चौराहों व सडक सुधार हेतु कन्सलटैन्सी प्रस्तावित है।
नारायण निवास	कॉलोनियों का ट्रैफिक साईड से लिंक रोड क्लीयर नहीं होने के कारण कट से मैन रोड पर आता है जिससे ट्रैफिक स्पीड में होता है अतः कट के पास छोटे रैम्बलस व रोड सिग्लन बनाये जावे ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों का आवागमन बी-2 बाईपास पर शिफ्ट किये जाने के कारण दुर्घटनाओं मे कमी आई है, साथ ही गोपालपुरा बाईपास पर विभिन्न चौराहों व सडक सुधार हेतु कन्सलटैन्सी प्रस्तावित है।
गंगोत्री गार्डन	अत्यधिक ट्रैफिक मर्ज पोईन्ट है सीधे ट्रैफिक के लिये छोटे ब्रेकर व रोड लाईनिंग की आवशकता है व आसपास के ट्रैफिक के लिए लिंक रोड क्लीयर होना जरूरी है जो क्लीयर नहीं है ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि गोपालपुरा बाईपास पर भारी वाहनों का आवागमन बी-2 बाईपास पर शिफ्ट किये जाने के कारण दुर्घटनाओं मे कमी आई है, साथ ही गोपालपुरा बाईपास पर विभिन्न चौराहों व सडक सुधार हेतु कन्सलटैन्सी प्रस्तावित है।
रिद्धि-सिद्धि तिराहा	ढलान व चढाई दार चौराहा है जिस पर सीधे ट्रैफिक के लिये ब्रेकर व रोड लाईनिंग व रोड पर बने खडों को दुरस्त करने की आवशकता है लिंक रोड से अतिकमण हटया जाकर रोड को दुरुस्त किया जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवश्यक कार्य करवाये जा चुके है।

श्रीराम मार्बल	इस कट पर छोटी साईज से ब्रेकर दुरुस्त कर रंग किया जावे	बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवश्यक कार्य करवाये जा चुके है।
महेशनगर थाना से गुर्जर की थडी	महेश नगर 80 फिट रोड के ट्रैफिक मर्ज होने वाले स्थान पर कट छोड़ा जावे, गुर्जर की थडी तक रोड डिवायडर बनवाया जावे व अतिक्रमण को भी हटाया जावे ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवश्यक कार्य करवाये जा चुके है।
एच0पी0 पेट्रोल पम्प	यहां स्थित दोनों कटो का बन्द किया जाना उचित रहेगा।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त कटो को मैट्रो के कार्य के उपरान्त बन्द किया जाना प्रस्तावित है।
आतिश मार्केट	आतिश मार्केट के सामने का कट सही किया जाकर रिफ्लेक्टर कलरड पट्टी बनाई जावे व रोड को दुरुस्त किया जावे साथ ही पानी के निकास के लिये भी कार्य किया जावे ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य को मैट्रो के कार्य के उपरान्त किया जाना प्रस्तावित है।
जे0के0 पेट्रोल पम्प	अतिक्रमण हटाया जाकर लिंक रोड को दुरुस्त किया जावे । मानसरोवर व संतोष नगर साईड में ट्रैफिक मर्ज पाईन्ट पर छोटे डिवाईडर बनाये जावे व रोड की चौडाई बढ़ाई जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य को मैट्रो के कार्य के उपरान्त किया जाना प्रस्तावित है।
किसान धर्म कांटा:	स्टेट ट्रैफिक के लिए छोटे ब्रेकर बनाया जाना उचित रहेगा व श्याम नगर थाना वाली रोड पर जेब्रा लाईन बनाई जावे ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवश्यक कार्य करवाये जा चुके है।
बदरवास तिराहा से कमला नेहरू नगर पुलिया तक	रोड कटों पर जेब्रा लाईन बनाई जावे व चौधरी प्रोपर्टी से लेकर गजसिंहपुरा तक रोड के मध्य डिवायडर बनाया जावे व सडक को दुरुस्त किया जावे	
अजमेर रोड सोडाला से गुर्जर की थडी तक	इस रोड की लम्बाई 03 किलोमीटर की है जिस पर रोड विभाजक डिवायडर की आवश्यकता है व रोड के दोनो तरफ हो रहे अतिक्रमण को हटना चाहिये तथा इस रोड पर सैनी पवित्र भोजनालय , लजीज रेस्टोरेंट ,संजीवनी अस्पताल, देवीनगर मोड पर ट्रैफिक का अधिक दबाव रहता जहां पर हल्के स्पीड ब्रेकर बनाये जाने चाहिये ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य को मैट्रो के कार्य के उपरान्त किया जाना प्रस्तावित है।
किसान धर्म कांटा से रिको एरिया मानसरोवर तक	यह व्यस्तम रोड है जिस पर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन रहता है बीसलपुर खुदाई के कारण रोड साईडों से क्षतिग्रस्त हो रही है जिसको दुरुस्त किया जावे व रोड पर 30 के लगभग रोड कट है जो बहुत ही अधिक है । इनमें से अनावश्यक रोड कट्स को बंद करवाये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि आवश्यक कार्य करवाये जा चुके है।
मध्यम मार्ग	रोड के दोनो तरफ दुकानदारो व थडी,ढेलो द्वारा अतिक्रमण	बोर्ड द्वारा नगर निगम को आवश्यक कार्य हेतु निर्देश दिये

मानसरोवर	किये गये अतिक्रमण को हटवाया जावे तथा रोड की मरम्मत की जावे ।	गये है। सम्बन्धित अधिकारी:-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।
कमला नेहरू नगर पुलिया से हिरापुरा चौराहा तक	यहां पर्याप्त यातायात संकेतक व वैधानिक चौतावनी बोर्डों के अभाव में लोग गलत फहमी का शिकार होकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं अतः आस पास की कॉलोनियों के लिये यातायात की व्यवस्था की जावे तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है व पर्याप्त संकेतक बोर्ड लगवाये जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त एन.एच.ए.आई से सम्बन्धित है।
हिरापुरा चौराहा से पुरानी चुंगी नाका तक	रोड कटो पर रोड लाईनिंग डाली जावे टैगोर नगर मोड ,डी0सी0एम0 , गहलोत का बंगला , दरगाह व पुरानी चुंगी नाका पर अत्यधिक ट्रैफिक क्रोस होता है अतः सीधे ट्रैफिक के लिये छोटे ब्रेकर व रैम्बलस की आवश्यकता है ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान मे बीआरटीएस का कार्य प्रगति पर है तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समस्त कार्य करवा दिये जायेंगे। सम्बन्धित अधिकारी-निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम जविप्रा।
सुशीलपुरा पुलिया से चार नम्बर डिस्पेंसरी तक	मिनी बसों का स्टॉप नही होने के कारण बीच रोड खडे होकर सवारीया लेते व उतारते है अतः इस बीच अतिक्रमण हटाया जाकर रोड की चौडाई बढाई जावे व बस स्टॉप की व्यवस्था की जावे ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि मैट्रो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
	प्रथम चरण मे निम्नलिखित 20 स्थानों को चिन्हित किया है, जहा बहुत अधिक दुर्घटनाए हो रही है। इन स्थानों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने पर इस निष्कर्ष पर पहुचे कि यातायात से सुगम एवं सुरक्षित संचालन हेतु व दुर्घटनाओ मे कमी लाने के लिए निम्न लिखित प्रयास किये जाने की आवश्यक है।	
	घाट की गूणी मे रोड की चौडाई कम है तथा दोनो तरफ ऊची ऊची बिल्डिंग है एवं हर 50 या 100 मीटर पर मोड है। रोड के बीच रोड सकरी होने के कारण डिवाइडर नही बन सकते है। इसलिये घुमाव मे वाहन चालक को सामने आने वाला वाहन दिखाई नही देता है। इसलिये दुर्घटना हो जाती है। यहा हर मोड पर साईन बोर्ड व दिशा सूचक बोर्ड लगवाये जाने की आवश्यकता की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान मे घाट की गूणी सडक की वैकल्पिक सडक सुरंग के रास्ते तैयार है जिसे शीघ्र ही आम जनता के लिए चालू किया जा रहा है। भारी वाहनों का आवागमन घाट की गूणी के रास्ते बन्द किया जाना प्रस्तावित है। तथापि आवश्यक साईन बोर्ड लगा दिये जायेगे।
गोनेर रोड से खोनागोरियान रोड	गोनेर रोड से खोनागोरियान पर रोड की चौडाई कम है। तथा रोड के बीच बना डिवाइडर जगह-जगह से टूटा हुआ है। रोड उबड खाबड है। जिससे वाहन आपनी सुविधानुसार रोग साईड	बोर्ड को अवगत कराया गया कि खो-नागोरियान रोड को चौडा करने हेतु भूमि अवाप्ति प्रकिया उपायुक्त जोन-10 के अधीन की जा रही है। तत्तश्चात सडक सुधारीकरण किया

	चले जाते हैं। उक्त एरिया आबादी क्षेत्र होने की वजह से यहा दुर्घटनाएँ घटित होती हैं। रोड के बीच बना रोड डिवाइडर सही करवाया जाये व रोड चौड़ी की जावे ताकि वाहन अपनी साईड से दूसरी तरफ नहीं जा सके। साथ ही आवासीय क्षेत्र में दोनों तरफ रेलिंग लगाई जाये।	जा सकेगा। टूट-फूट व अन्य मरम्मत कराई जा रही है। सम्बन्धित अधिकारी-निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम जविप्रा।
झालाना महल से पुराना बाईपास	यहा डबल रोड बनी हुई है। परन्तु एक रोड बन्द की हुई है। रोड लाईट नहीं है। एक ही रोड पर ट्रैफिक चलता है। यहा पर रोड लाईट लगाकर दोनों रोड चालू की जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि कोर्ट स्टे के कारण कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जविप्रा बनाम मदनलाल में झालाना महल के समीप भूमि विवाद है।
सरस डेयरी के सामने जेएलएन मार्ग	सरस पार्लर होने के कारण लोग अपने वाहनों को आम सड़क पर दोनों ओर खड़ा कर देते हैं। व पैदल रोड क्रॉस पार्लर में आते व जाते हैं। इसलिये सड़क के मध्य डिवाइडर पर लोहे की रेलिंग लगाई जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान में टॉक रोड पर अजमेरी गेट से लेकर सांगानेर चौराहे तक रेलिंग लगाने का कार्य प्रस्तावित है। इसके उपरान्त अन्य सड़कों पर भी आवश्यकतानुसार कार्य करवाये जायेंगे।
ओटीएस चौराहा	इस चौराहे पर भास्कर पुलिया से झालाना की तरफ जाने वाली व आने वाली रोड पर स्पीड ब्रेकर नहीं है। यहा पर स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने की आवश्यकता है। ताकि वाहन धीमी गति में चौराहे को देखकर पार करे। साथ ही ओटीएस चौराहे से झालाना की तरफ जाने वाली रोड को चौड़ा किये जाने व मीडियन लगवाये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि वहा पर भारी वाहनों का आवागमन बहुत अधिक है। चौराहे पर स्लिप लेन भी बनाई जाने की आवश्यकता है जिससे बाये मुड़ने वाला ट्रैफिक निर्बाध रूप से चलता रहे।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि टीसीबी के निर्णयानुसार 80 फीट व अधिक की चौड़ाई वाली सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना वांछनीय नहीं है एवं उक्त चौराहा सिग्नेलाईज्ड है। अतः आवश्यकता नहीं है।
पश्चिम क्षेत्र चिंकारा केन्टीन से पानी पेच तिराहे के मध्य	चिंकारा केन्टीन से पानीपेच तिराहे के मध्य रोड मीडियन बनवाया जाये। क्योंकि वहा यातायात का भारी दबाव है व सभी प्रकार के वाहन आते जाते हैं।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि मीडियन हेतु वांछित चौड़ाई उपलब्ध नहीं है।
झारखण्ड तिराहे से खातीपुरा तिराहे के मध्य	झारखण्ड तिराहेसे खातीपुरा तिराहे के मध्य रोड मीडियन बनवाया जाये। क्योंकि वहा यातायात का भारी दबाव है व सभी प्रकार के वाहन आते जाते हैं।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि मौके पर वांछित चौड़ाई उपलब्ध नहीं है तथा मौके पर दोनों छोर पर बसावट तथा उपलब्ध सड़क को देखते हुये मीडियन की आवश्यकता नहीं है।

बैनाड रोड	बैनाड रोड पर दादी का फाटक से बैनाड गांव तक रोड के मध्य मीडियन बनाये जाने की आवश्यकता है एवं इससे बायी तरफ जिन कालोनियों के रास्ते बैनाड रोड पर मिलते हैं। वहा स्वीड ब्रेकर बनवाये जाने की आवश्यकता है। यह रोड शहर के बाहरी क्षेत्र मे पडती है। और यहा पर सभी तरह के वाहन अनियंत्रित गति से दौडते है। जिससे यहा पर काफी दुर्घटनाए होती है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि मीडियन हेतु वांछित चौडाई उपलब्ध नही है तथा स्पीड ब्रेकर का कार्य प्रगति पर है।
सीकर रोड	14 नम्बर पुलिया के पास लोहा मण्डी से आकर जो रोड एक्सप्रेस हाईवे पर मिलती है। वहा स्वीड ब्रेकर बनवाये जाने की आवश्यकता है। 14 नम्बर से सर्विस लेन का इस्तेमाल करते हुये अजमेर की तरफ जाने वाले एक्सप्रेस हाईवे पर जहा सडक मिलती है वहा स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि आन्तरिक सडकों पर स्पीड ब्रेकर बनवाये जा चुके है।
झोटवाडा पुलिया	झोटवाडा पुलिया की चौडाई बहुत कम हैं। इस पुलिया पर एक वाहन यदि खराब हो जावे जो बहुत बडा जाम लग जाता है। इस पुलिया की चौडाई बढाये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि वर्तमान मे भूमि उपलब्ध न होने के कारण पुलिया को चौडा करने की आवश्यकता नही है।
उत्तर क्षेत्र ईदगाह बस स्टेण्ड वन विहार कॉलोनी कट एवं पाडा मण्डी	वन विहार कॉलोनी से आकर दिल्ली बाईपास पर मिलने वाली सडक पर स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने की आवश्यकता है तथा यहा पर रोड के मध्य कट को बन्द किया जावे क्योंकि पास ही ईदगाह बस स्टेण्ड पर कट मौजूद है। सडक के दोनो और रलिंग लगाई जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपरोक्त क्षेत्र की अलग से समग्र कन्सलटैन्सी करवायी जा रही है।
मीणा पेट्रोल पम्प के पास दिल्ली बाईपास	पेट्रोल पम्प के आसपास कई कच्चा बस्तिया है जिससे छोटी छोटी सडके आकर मुख्य सडक से मिलती है। स्पीड ब्रेकर नही होने के कारण आये दिन दुर्घटनाए होती रहती है। सडक के दोनो और लोहे की रेलिंग लगाई जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपरोक्त क्षेत्र की अलग से समग्र कन्सलटैन्सी करवायी जा रही है।
खोले के हनुमान जी का तिराहा	खोले के हनुमान जी के तिराहे पर ट्रैफिक लाईट सिस्टम लगाये जाने की आवश्यकता है चूकि यहा पर रोजाना हजारो दर्शनार्थी आते है उनकी सुरक्षा हेतु सडक के दोनो ओर रेलिंग लगाई जावे सर्विस लेन का निर्माण किया जाये तथा मुख्य सडक व बाईपास पर मिलने वाली सडको पर स्पीड ब्रेकर बनवाये जाये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि खोले के हनुमान से अन्दर से आने वाली सडक पर स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है। टीसीबी के निर्णयानुसार 80 फीट व उससे अधिक चौडी सडक पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना वांछनीय नही है। ट्रैफिक लाईट लगायी जा चुकी है।

मानबाग तिराहा	मनबाग तिराहे पर मिनीबसों का स्टेण्ड है तथा जयसिंहपुरा खोर से दिल्ली बाईपास पर मिलने वाली रोड पर इस प्रकार की बनी हुई है कि दिल्ली से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते हैं। तथा बंध की घाटी से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन ढलान होने के कारण बहुत तेजगति से जाते हैं। इसलिये यहा पर अतिक्रमण हटाये जाने की आवश्यकता है तथा स्पीड ब्रेकर बनवाये जाये व मिलकर लाईट लगाई जाये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि टीसीबी के निर्णयानुसार 80 फीट व उससे अधिक चौड़ी सडक पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना वांछनीय नहीं है व ट्रैफिक लाईट लगी हुई है।
जयपुर ग्रामीण पुलिस लाईन व कनक घाटी तक	जयपुर ग्रामीण पुलिस लाईन से कनक घाटी तक बस्तियों की छोटी छोटी सडके मुख्य मार्ग से आकर मिलती है। मुख्य सडक पर वाहन काफी तेजगति से चलते हैं। जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाए होती रहती है। बस्तिया से आने वाली छोटी सडकों पर स्पीड ब्रेकर बनवाये जाये। कनक घाटी से आने वाली रोड जो मुख्य मार्ग से मिलती है। यहा घाटी से आने वाले वाहनो की गति तेज होने के कारण दुर्घटनाए होती रहती है। कनक घाटी वाली रोड पर स्पीड ब्रेकर व मुख्य सडक पर ब्लिंकर लगाये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि स्पीड ब्रेकर बनवाये जा चुके हैं।
दक्षिण क्षेत्र अजमेर रोड 200 फीट बाईपास चौराहा	अजमेर रोड 200 फीट बाईपास चौराहे पर 10.00 पीएम से 8.00 ए.एम तक ट्रैफिक लाईट सिग्नल ब्लिंकर पर रहते हैं। रात्रि के समय इस चौराहे पर चारों तरफ से तेजगति से वाहन प्रवेश करते हैं। परिणामस्वरूप सडक दुर्घटनाओं की संभावनाए अधिक बढ जाती है। एक वर्ष पूर्व मे चौराहे के चारो तरफ मिलने वाली रोडस पर रम्बल्स (स्पीड ब्रेकर) बनाये गये थे जो वर्तमान मे सडक लेवल पर आ चुके हैं। जिनको पुनः बनवाये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त एन.एच.ए.आई से सम्बन्धित है।
किसान धर्मकाटा तिराहा	किसान धर्मकाटा तिराहे पर सडक की चौड़ाई बढाई जाने की आवश्यकता है तथा वहा से सांगानेर की तरफ जाने वाली घुमाव दार रोड के दोनो तरफ लोगो ने बहुत अतिक्रमण कर रखा है। जिससे सडक की चौड़ाई कम हो गई हैं चूकि इस सडक पर दोनो तरफ का ट्रैफिक चलता है इसलिए इस सडक की चौड़ाई बढाये जाने की आवश्यकता है। सांगानेर से आने	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त तिराहा मैट्रो के कार्य से प्रभावित है अतः मैट्रो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शेष निर्णय लिया जायेगा।



	वाले रोड जो बाईपास रोड से मिलती है वह घुमावदार है जिससे सामने वाले आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते है इस घुमावदार सडक पर मीडियन व रम्बल्स बनाये जाने की आवश्यकता है।	
गंगा जमुना पेट्रोल पम्प	गंगा जमुना पेट्रोल पम्प मानसरोवर तिराहे पर सडक को चौड़ा किये जाने की आवश्यकता है। पेट्रोल पम्प के सामने एक कट बना हुआ है। उसे बन्द करने की आवश्यकता है। तिराहे पर अतिक्रमण व बोर्ड/बिजली के पोल के कारण सामने का यातायात दिखाई नहीं देता है। इनको हटाये जाने की आवश्यकता है। शिप्रापथ से बाईपास में आने के लिए स्लिप लेन का निर्माण किया जाये।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त तिराहा मैट्रो के कार्य से प्रभावित है अतः मैट्रो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त शेष निर्णय लिया जायेगा।
निर्माण नगर तिराहा अजमेर रोड	निर्माण नगर तिराहे पर श्यामनगर थाने के सामने से आने वाले रोड जो अजमेर रोड से मिलती है इस तिराहे पर रोड की चौड़ाई बढ़ाने व मीडियन बनाये जाने ट्रैफिक लाईट सिस्टम व रम्बल्स लगाये जाने की आवश्यकता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि उक्त तिराहा पर बीआरटीएस के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।
चौमू हाऊस सर्किल और पृथ्वीराज रोड	चौमू हाऊस सर्किल पर गवर्नमेन्ट प्रेस से आकर स्टेच्यू की तरफ जाने की लिए स्लिप लेन बनाये जाने व इस सर्किल से स्टेच्यू सर्किल तक मीडियन बनवाये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें क्रांसिंग भी बहुत है तथा यातायात का दबाव भी बहुत अधिक रहता है।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि स्लिप लेन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। तथा डिवाइडर हेतु आवश्यकतानुसार सडक की चौड़ाई नहीं है।
	जयपुर शहर में दुर्घटना संभावित क्षेत्र जहा सडक के दोनो ओर रेलिंग के अभाव में दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। जयपुर शहर के दुर्घटना संभावित क्षेत्र जहा पर कि सडक के दोनो ओर आवासीय कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है तथा आवासीय घनत्व भी बहुत अधिक है। यहा पर यातायात का भारी दबाव रहता है तथा कॉलोनियों से छोटी छोटी सडके आकर मुख्य मार्ग में मिलती है यहा सर्विस लेन का निर्माण किया जावे तथा सडक के दोनो ओर लोहे की रेलिंग लगाये जाने की आवश्यकता है। प्रथम चरण में निम्न तीन स्थानों पर	

	<b>रैलिंग लगाये जाने की आवश्यकता है।</b>	
	ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से जवाहर नगर बाईपास से रॉयल्टी मार्ग तिराहे तक सडक के दोनो तरफ लोहे की रैलिंग लगवाई जावे एवं मीडियन बनाया जाये।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि मौके पर सडक की पर्याप्त चौड़ाई उपलब्ध नहीं है।
	ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से गलता रोड धोबी घाट एवं सडवा मोड तक सडक के दोनो ओर लोहे की रैलिंग लगवाई जावे।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि उपरोक्त सडक की अलग से समग्र कन्सल्टैन्सी करवायी जा रही है। सम्बन्धित अधिकारी:- निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम
	बी-2 बाईपास पर शिप्रापथ मार्ग से न्यू सांगानेर रोड तक केवल एक तरफ आवासीय कॉलोनी है। अतः सडक के दोनो ओर सर्विस लेन का निर्माण किया जाये व लोहे की रैलिंग लगाई जाये।	बोर्ड को अवगत कराया गया है कि बी-2 बाईपास के अन्तर्गत कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।
70.2	<b>अशोक मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के सम्बन्ध मे।</b>	विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर को आवश्यक कार्यवाही कर प्रगति रिपोर्ट से आगामी टीसीबी बैठक मे अवगत कराने के निर्देश दिये गये। सम्बन्धित अधिकारी :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।
70.3	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये याचिका संख्या 1118/2011 के आदेश पर क्रियान्विति के सम्बन्ध मे ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जयपुर आटो चालक यूनियन के पदाधिकारियों को बैठक मे बुलाकर सुना गया तथा उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार विमर्श कर बोर्ड द्वारा पुलिस उपायुक्त (यातायात) की अध्यक्षता मे गठित समिति की बैठक दिनांक 12.06.2012 मे लिये गये निर्णयों के क्रम मे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा।	ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा एजेण्डे पर बिन्दुवार निम्नानुसार अनुशंषा की गई जिस पर सम्बन्धित विभाग (यातायात एवं परिवहन विभाग) से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही करेंगे। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि पालना रिपोर्ट आगामी टीसीबी बैठक से पूर्व भिजवायी जावे। सम्बन्धित अधिकारी :- पुलिस उपायुक्त (यातायात), अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।
	1. ऑटो रिक्शा की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध मे पिछला निर्णय वर्ष 2007 मे किया गया था। वर्तमान मे ऑटो रिक्शाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो जयपुर शहर की जनसंख्या है उसका एक प्रतिशत तक इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। परन्तु प्रथम चरण मे यह संख्या 12000 से बढ़ाकर 20000 तक की जा सकती। प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर इसका पुनः परीक्षण किया जाना चाहिये।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये है कि ऑटो रिक्शाओं की संख्या प्रथम चरण मे 12000 से 20000 तक क्रमबद्ध रूप से संख्या बढ़ाने से पूर्व ऑटो स्टेण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने की शर्त पर परिवहन विभाग को अनुशंषा की जावे। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि पालना रिपोर्ट आगामी टीसीबी बैठक से पूर्व भिजवायी जावे। सम्बन्धित अधिकारी :- पुलिस उपायुक्त (यातायात), अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।
	2. सार्वजनिक वाहनों का सीएनजी से चलावाया जाना चाहिये और इनके लिये प्रकिया प्रारम्भ की जानी चाहिये।	परिवहन विभाग द्वारा बोर्ड को अवगत किया गया है कि प्रकरण नीतिगत है तथा राज्य सरकार स्तर पर प्रकियाधीन है।

	<p>3. जयपुर शहर में बारह हजार संख्या से अधिक ऑटो रिक्शा के परमिट जारी किये जाने पर आगामी 5000 को डीजल एवं 3000 की एलपीजी के परमिट दिये जाने चाहिये।</p>	<p>बोर्ड द्वारा एल.पी.जी अथवा क्लीन फ्यूल यथा सी.एन.जी चलित ऑटो पर सहमति व्यक्त की गई एवं प्रस्तावनुसार आयुक्त परिवहन विभाग से पूर्वानुमति लेकर एल.पी.जी के ही परमिट दिये जाने की शर्त पर सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।</p>
	<p>4. ऑटो रिक्शा के परमिट जयपुर नगर निगम क्षेत्र की सीमा में चलाये जाने के लिये ही दिये जाये।</p>	<p>बोर्ड द्वारा परमिट नगर निगम सीमा तक ही चलाये जाने की सिफारिश की जाती है।</p>
	<p>5. सभी प्रकार के नये सार्वजनिक वाहनों का पंजीयन दस वर्ष के लिये किया जाये। इसके बाद रिन्यूअल मात्र 5 वर्ष के लिये किया जावे। जिसके लिए भी प्रतिवर्ष पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य हो।</p>	<p>बोर्ड को अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 6073/1993 महेन्द्र लोढा बनाम राज्य में दिनांक 19.02.2007 को दिये गये निर्णय में यह निर्देश दिये हैं कि 12 वर्ष से अधिक पुराना सार्वजनिक वाहन शहर के प्रमुख मार्गों पर संचालन नहीं होना चाहिए। उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में कमेटी के सभी सदस्यों की एकमत से यह राय रही की माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही जयपुर शहर में संचालित होने वाली सार्वजनिक वाहन भी 12 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। इसके लिए 12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर अनुज्ञापत्र जारी करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।</p> <p><b>सम्बन्धित अधिकारी :- अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।</b></p>
	<p>6. सरकारी एवं गैर सरकारी, विभाग ऑटो रिक्शाओं के स्टेण्ड के लिये जमीन जनसुविधा हेतु उपलब्ध करवाये ताकि वहां आने वाली जनता को परेशानी ना हो ऑटो सडक पर खडे ना हो।</p>	<p>बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि ट्रैफिक पुलिस अलग से जविप्रा/नगर निगम के सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं उप नगर नियोजन के साथ स्थल चयन /ऑटो रिक्शाओं की संख्या आदि का निर्धारण कर अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इस कार्य हेतु यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को आवंटित भूखण्ड से भी भूमि उपलब्धता के प्रयास किये जा सकते हैं। इस हेतु उपायुक्त पुलिस (यातायात) संस्थाओं की भूमि चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाही करे।</p> <p><b>सम्बन्धित अधिकारी :- उपायुक्त पुलिस (यातायात)</b></p>
	<p>7. नये ऑटो रिक्शाओं के इलैक्ट्रानिक मीटर लगावाये जाये तथा जिन ऑटो रिक्शाओं का रिन्यूअल किया जाता है उन पर नया इलैक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने के बाद भी रिन्यूअल किया जावे। आई.एस.आई मार्क के ही इलैक्ट्रानिक मीटर लगावाये जाये।</p>	<p>बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही किये जाने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये।</p> <p><b>सम्बन्धित अधिकारी :- अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।</b></p>



	8. नगर निगम सीमा क्षेत्र में चलने वाले ऑटो एवं ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले ऑटो रिक्शाओं का रंग अलग-अलग होना चाहिए।	बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये कार्यवाही किये जाने के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये। <b>सम्बन्धित अधिकारी :- अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।</b>
	9. सभी ऑटो रिक्शाओं में जी.पी.एस सिस्टम लगाया जाये तथा कॉल सेन्टर स्थापित किये जाये। जिसमें ऑटो रिक्शाओं में मूवमेन्ट को कन्ट्रोल किया जा सके।	बोर्ड द्वारा उपायुक्त पुलिस (यातायात) को इस बाबत सम्पूर्ण प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। <b>सम्बन्धित अधिकारी :- उपायुक्त पुलिस (यातायात)</b>
	10. ऑटो रिक्शाओं के चालकों विरुद्ध यदि इस आशय की शिकायत आती है कि वे मीटर से नहीं चल रहे हैं तो उनका परमिट निलम्बन/ निरस्त किया जावे।	बोर्ड द्वारा इस हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को अधिकृत किया। <b>सम्बन्धित अधिकारी :- अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।</b>
71.1	<b>Traffic Management plan and General Arrangement Drawing at Transport Nagar Chauraha</b>	अधिशायी अभियन्ता-PDC 1 द्वारा बोर्ड को कार्य योजना से अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
71.2	टीसीबी के 68वीं बैठक में लिये गये के निर्णयों के अन्तर्गत एजेण्डा बिन्दु सं 5 के अनुसार सड़क सुरक्षा हेतु सुझाव प्रस्तुत करने एवं टीसीबी के निर्णयों की अनुपालना हेतु गठित स्टेयरिंग कमेटी की तृतीय बैठक में व्यावसायिक/रिहायशी, बहुमंजिला ईमारतों, मैरिज गार्डन, सभागारों, व्यावसायिक मॉल्स, शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालयों में पार्किंग की समस्याओं के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित बिन्दुओं के क्रम में।	उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा बोर्ड को मीटिंग कार्यवाही विवरण से अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि एक समिति गठित की जावे जिसमें सचिव जविप्रा, निदेशक आयोजना जविप्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर तथा मुस्कान संस्था के ट्रस्टी श्री प्रमोद भसीन सदस्य हो तथा इस समिति के समन्वयक निदेशक आयोजना होंगे। <b>सम्बन्धित अधिकारी :- सचिव जविप्रा, निदेशक आयोजना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर तथा अध्यक्ष एनजीओ मुस्कान।</b>
अन्य बिन्दु	स्पीड ब्रेकर के सम्बन्ध में।	टी.सी.बी के पूर्व निर्णयानुसार 80 फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना वांछनीय नहीं है, बोर्ड को अवगत कराया गया जिस पर बोर्ड द्वारा पूर्व निर्णयानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

Secretary  
Jaipur Development Authority,  
Jaipur

**Following officers attended the 71<sup>h</sup> TCB meeting held on 24.12.12**


1. Sh. Kuldeep Ranka, Jaipur Development Commissioner, JDA Jaipur.
2. Sh. Vishnu Charan Mallik Secretary , JDA, Jaipur.
3. Smt. Lata Manoj Kumar , DCP. (Traffic), Jaipur
4. Sh. Jagroop Singh , CEO NNJ Jaipur.
5. Sh. Bhavya Soni, CEO, Muskaan Jaipur.
6. Sh. Pramod Bhasin, Managing Trustee, Muskaan Jaipur.
7. Sh. G.L. Sharma, DIG JDA, Jaipur.
8. Sh. D.C. Janwara, Dir.(Finance), JDA, Jaipur.
9. Sh. N.C. Mathur, Dir. Engg-I, JDA Jaipur.
10. Sh. Lalit Sharma Dir. Engg-II, JDA Jaipur.
11. Sh. V.S. Sunda, ACE, JDA Jaipur.
12. Sh. H.P Mishra, Addl. Transport Commissioner, Jaipur.
13. Sh.Raj Kumar Sharma , Superintending Engineer Project-II, JDA, Jaipur.
14. Sh. Maqsood Ahmad, Superintending Engineer -IV, JDA,Jaipur.
15. Sh. M.L. Choudhary, Superintending Engineer -Electric, JDA,Jaipur.
16. Sh. Tarun Kumar Sharma, Superintending Engineer –Proj-2, JDA,Jaipur.
17. Sh. Ratan Lal Jajoo, Superintending Engineer –PDC-III, JDA,Jaipur.
18. Sh. J.P. Singhal, Superintending Engineer –II, JDA,Jaipur.
19. Smt. Pravina Charan, Addl. Regional Transport Commissioner, Jaipur.
20. Sh. Mahesh Goyal Executive Engineer -1, JDA Jaipur.
21. Sh. P.K. Vyas, Executive Engineer -14, JDA Jaipur
22. Sh. M.K. Bairwa, Executive Engineer -Electric, JDA Jaipur
23. Sh. Sanjeev Kumar Jain, Executive Engineer –PDC-I, JDA Jaipur
24. Sh. V.M. Johari, Executive Engineer -10, JDA Jaipur
25. Sh. Dharmendra Sharma, Executive Engineer -2A, JDA Jaipur
26. Sh. Sanjay Poniya, Executive Engineer -6, JDA Jaipur.
27. Sh. Arun Sharma, Executive Engineer -1A, JDA Jaipur
28. Sh. Sunil Vyas, Executive Engineer , JDA Jaipur
29. Sh. Vinay Sharma, Executive Engineer (CD-IV), JVVNL, Jaipur.
30. Sh. Purshottam Jeswani, Executive Engineer , NNJ Jaipur
31. Sh. Dinesh Sharma , , Commissioner Vigilence, NNJ, Jaipur.
32. Sh. S.C. Saini, Assistant Engineer Zone-2, JDA Jaipur
33. Smt. Usha Jain (PRO) JDA, Jaipur.

Copy forwarded to the following for information and necessary action

1. Hon'ble Mayor, Jaipur Nagar Nigam, Jaipur
2. Collector, Jaipur.
3. DIG, JDA, Jaipur.
4. Transport Commissioner, Rajasthan Jaipur
5. Managing Director, RSRTC, Jaipur.
6. Chief Executive officer, JNN, Jaipur.
7. Managing Director, JMRCL, Jaipur.
8. Managing Director, JCTL, Jaipur.
9. DCP (Traffic) Jaipur
10. Chief Engineer, PWD, Jaipur.
11. Chief Engineer, PHED, Jaipur.
12. Chief Engineer, JVVNL, Jaipur.
13. Director (TP) JDA, Jaipur.
14. Director (Engineer-I/II), JDA, Jaipur
15. Director (Fin.) JDA, Jaipur.
16. Regional Transport officer, Jaipur.
17. Chairman NGO Muskan, Jaipur.
18. Joint Commissioner (System Management), JDA, Jaipur.
19. Supdt Engg. I/II/III/IV/ V/Elect/Pr-I/Pr-II/RRP/PDC-I/PDC-II JDA, Jaipur
20. Ex.En-1/ all, JDA, Jaipur
21. OSD (PRO) JDA, Jaipur
22. Sr PS to JDC, JDA, Jaipur
23. PS to Secy. JDA, Jaipur

No F(1) /JDA/MS/TCB/2012-13/D- 82

Dated:- 29/1/13

  
Secretary  
Jaipur Development Authority,  
Jaipur